भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.794
07 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी क्षेत्रों में किराया आवास

794. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सामाजिक किराया आवास योजना के अंतर्गत प्रवासियों के लिए शहरी क्षेत्रों में किराये के आवास उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक निवास स्थान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की शुरुआत की गई है। यह योजना निम्नानुसार दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है:

मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करके उपयोग करना।

मॉडल-2: सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध रिक्त भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

योजना के मॉडल-1 के अंतर्गत, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 5,648 आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित किया गया है। योजना के मॉडल-2 के अंतर्गत, अब तक, विभिन्न राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी

इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 48,113 एआरएचसी इकाइयों का निर्माण प्रगति पर है।

*****